Name of the growth centre	Amount released (Rs. in Lakh)		
	1995-96	1996-97	1997-98
Mungra Satharia (Jaunpur)	400	—	—
Dibiapur (Auraiya)	—	—	50
TOTAL	600	—	220

औद्योगिक निवेश

660. **श्री गोविन्दराम गिरि:** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आठवीं योजना के अंत तक देश में औद्योगिक निवेश का राज्यवार प्रतिशत कितना-कितना रहा है;

(ख) किन-किन उद्योगों में निवेश सर्वाधिक और किन-किन उद्योगों में कम रहा है;

(ग) क्या औद्योगिक निवेश में अत्यधिक असमानता पाई गई है;

(घ) अपने-अपने राज्यों में औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने के लिए प्रत्येक राज्य सरकार ने क्या-क्या सकारात्मक कदम उठाए हैं; और

(ङ) औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किये गये हैं?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) से (ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत अर्थात् मार्च, 1997 तक की अवधि में राज्यवार औद्योगिक निवेश के प्रस्तावों तथा उद्योगवार औद्योगिक निवेश के आशयों के ब्यौरे विवरण I व II में दिये गये हैं। (नीचे देखिए)

(घ) और (ङ) केन्द्र सरकार देश की व्यापक औद्योगिक नीति निर्धारित करती है और उसके बाद राज्य सरकारें राष्ट्रीय औद्योगिक नीति की व्यापक मानदंडों के भीतर अपनी औद्योगिक नीतियां निर्धारित करती हैं। केन्द्र सरकार द्वारा 1998-99 के दौरान औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उठाये गये कुछ मुख्य उपाय इस प्रकार हैं:—

*कोयला तथा लिग्नाइट, पैट्रोलियम तथा इसके डिस्टिलेशन उत्पाद और चीनी को लाइसेंस मुक्त करना।

*अनिवासी भारतीयों द्वारा समग्र इक्विटी निवेश सीमा 5% से बढ़ाकर 10% करना।

*विद्युत प्रशुल्कों को युक्तियुक्त बनाने के लिए केन्द्रीय तथा राज्य विद्युत विनियामक आयोग स्थापित किये गये हैं।

*शहरी भूमि सीमा तथा विनियमन अधिनियम को एक अध्यादेश जारी करके रद्द कर दिया गया है। इससे भूमि की आपूर्ति बढ़ने और निर्माण गतिविधियों में तेजी होने की आशा है।

*सरकार ने शेयरों की पुनः खरीद तथा अंतःनिगम ऋणों की अनुमति दे दी है ताकि निवेश में वृद्धि और पूंजी बाजार पुनरूज्जीवित हो सके।

*सरकार ने तीन बड़ी फास्ट ट्रैक पावर परियोजनाओं को मास्टर गारंटी दी है जिससे वित्त समापन की आशा है और इस प्रकार मौलिक तथा अन्य वस्तुओं की मांग बढ़ेगी।

*6 लेन वाली 7000 कि० मी०, के राजमार्ग को बनाया जाएगा।

*विद्युत जनित्रण, ट्रांसमिशन तथा वितरण के लिए तथा सड़कों, राजमार्गों, वाहन पुलों, चौड़ी सड़कों, वाहन सुरंगों, पत्तनों तथा बंदरगाहों का निर्माण व रख-रखाव के लिए 100% विदेशी इक्विटी की अनुमति दी गई है जिसकी अधिकतम सीमा 1500 करोड़ रुपया है।

*विभाग के भीतर ही एक परियोजना मानीटरिंग एकक की संस्थापना की गई है ताकि 100 करोड़ रुपए तथा इससे अधिक की विदेशी इक्विटी धारित करने वाली बड़ी एफ०डी०आई० परियोजनाओं की तेजी से क्रियान्वयन व मानीटरी की जा सके।

विवरण-I

औद्योगिक निवेश संबंधी प्रस्ताव (राज्यवार)
(अगस्त 1991 से मार्च, 1997 तक)
कुल प्रस्ताव

राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	(आई॰ ई॰ एम॰ एल॰ ओ॰ आई॰)	प्रतिशत
महाराष्ट्र	5683	17.62
गुजरात	4734	14.67
उत्तर प्रदेश	3204	9.93
तमिलनाडु	3159	9.79
आंध्र प्रदेश	2210	6.85
हरियाणा	2079	6.44
मध्य प्रदेश	1839	5.70
राजस्थान	1687	5.23
पंजाब	1586	4.92
पश्चिमी बंगाल	1262	3.91
कर्नाटक	1223	3.79
दादर नागर हवेली	782	2.42
दिल्ली	453	1.40
दमन और द्वीव	382	1.18
केरल	380	1.18
हिमाचल प्रदेश	326	1.01
बिहार	289	0.90
पांडिचेरी	289	0.90
गोवा	262	0.81
उड़ीसा	223	0.69
असम	73	0.23
जम्मू और कश्मीर	55	0.17
चंडीगढ़	23	0.07
मेघालय	11	0.03
सिक्किम	10	0.03
अंडमान और निकोबार	9	0.03
अरूणांचल प्रदेश	6	0.02
नागालैंड	5	0.02
त्रिपुरा	4	0.01
लक्षद्वीप	1	0.00
मिजोरम	0	0.00
मणिपुर	0	0.00
एक से अधिक राज्य	11	0.03
योग	32260	100.00

आई॰ई॰एम॰ - लाइसेंसमुक्त क्षेत्र में आने वाले मदों के लिए दायर औद्योगिक उद्यमी ज्ञापनों के आवेदनपत्र।
एल॰ओ॰आई॰ - लाइसेंसकृत क्षेत्र में मदों के लिए जारी आशय-पत्र

विवरण-II

औद्योगिक निवेश के लिए आशय (उद्योगवार)
(अगस्त, 1991 से मार्च, 1997 तक)
कुल प्रस्ताव

अनुसूचित उद्योग संख्या	अनुसूचित उद्योग समूह	आई॰ई॰एम॰+ एल॰ओ॰आई॰ (संख्या में)
1	2	3
19	रसायन (उर्वरकों को छोड़कर)	5463
1	धातुकर्मी उद्योग	5117
23	वस्त्र	5021
35	सीमेंट तथा जिप्सम	728
24	कागज तथा लुग्दी	1276
27	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	1701

1	2	3
5	विद्युत उपकरण	1872
38	विविध उद्योग	2267
18	उर्वरक	215
6	दूर-संचार	979
7	परिवहन	494
28	वनस्पति तेल तथा वनस्पति	1618
8	औद्योगिक मशीनरी	719
30	रबड़ की वस्तुएं	393
22	औषध तथा भेषज	1202
25	चीनी	366
12	विविध यांत्रिक तथा इंजिनियरी उद्योग	433
		200
16	वैज्ञानिक उपकरण	
2	ईंधन	289
33	कांच	131
13	वाणिज्यिक/कार्यालय/घरेलू उपकरण	197
4	प्राइम मूवर्स	293
34	सेरेमिक	228
36	लकड़ी के उत्पाद	74
31	चमड़ा	264
9	मशीनी औजार	124
26	सर्जिकल उपकरण	223
29	साबुन कास्मेटिक टायलेटरीज	143
20	फोटोग्राफिक रॉ फिल्म/पेपर	112
11	मिट्टी हटाने की मशीनरी	41
		35
32	ग्लूम तथा जिलेटिन	
10	कृषि मशीनरी	24
15	औद्योगिक उपकरण	28
21	रंजक सामग्री	5
37	रक्षा उद्योग	4
17	गणितीय, सर्वेक्षण, ड्राइंग उपकरण	1
14	चिकित्सा तथा शल्य उपकरण	0
3	बॉयलर तथा भाप जनित्रण	0
	योग	32260

आई० ई० एम०-लाइसेंसयुक्त क्षेत्र के मदों के लिए दायर औद्योगिक उद्यम ज्ञापन संबंधी आवेदन।

एल० ओ० आई०-लाइसेंसीकृत क्षेत्र के मदों के लिए जारी आशयपत्र।